

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
आषाढ 31, सोमवार शाके 1941-जुलाई 22, 2019 <i>Asadha 31, Monday, Saka 1941-July 22, 2019</i>		

भाग 4 (ग)
उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशो, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION

Jaipur, July 22, 2019

G.S.R. 9.-Whereas the draft of the Rajasthan Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2018, amending the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, in exercise of the powers conferred by section 65 and 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), was published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, in the Rajasthan Gazette Extra-ordinary part 3(Kha) dated 18.10.2018 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 10 days from the date on which the copies of the said notification as published in Rajasthan Gazette were made available to the public.

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 06.11.2018.

And whereas, no objection & suggestion received on the said draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 65 and 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 4.1.- The existing sub-rule (3) of rule 4.1 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

“(3) Any officer not below the rank of Regional Transport Officer posted at Head Quarter and specially authorized by the Transport Commissioner shall be the Registering Authority for the purpose of the rule 63 to 73 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.”

3. Amendment of rule 4.18.- In sub-rule (1) of rule 4.18 of the said rules, for the existing expression “the approved testing station of the district in which the vehicle is paying tax”, the expression “any approved testing station of the State” shall be substituted.

[No. F 7(04)/Pari/Rules/H.Q./sansodhan-ii/092/17296]

By Order of the Governor,
Mahendra Kumar Khinchi,
Joint Secretary to the Government



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 6, बुधवार शाके 1941 अगस्त 28, 2019
Bhadra 6, Wednesday, Saka 1941-August 28, 2019

भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 28, 2019

जी.एस.आर.14:-यतः मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 65 और 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को संशोधित करने के लिए राजस्थान मोटर यान (संशोधन) नियम, 2018 का प्रारूप उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजस्थान राजपत्र में यथा-प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जायें, 10 दिवस के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 3(ख) दिनांक 18.10.2018 को प्रकाशित किया गया था।

और यतः उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 06.11.2018 को उपलब्ध करा दी गई थी।

और यतः उक्त प्रारूप नियमों पर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए है।

अतः अब, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 65 और 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4.1 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 4.1 के विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(3) मुख्यालय पर पदस्थापित और परिवहन आयुक्त द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई भी अधिकारी, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 63 से 73 के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी होगा।”

3. नियम 4.18 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 4.18 के उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति “जिस जिले में यान कर का संदाय कर रहा है उस जिले के अनुमोदित जांच स्टेशन द्वारा” के स्थान पर अभिव्यक्ति “राज्य के किसी भी अनुमोदित जांच स्टेशन द्वारा” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या प.7(04)परि/नियम/मु./संशोधन-पप/092/22160]

राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र कुमार खींची,

संयुक्त शासन सचिव।